पश्चिम मध्य रेल
सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना

पेंशन अदालत–2017–प्रथम के आयोजन हेतु अधिसूचना

सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना पर दिनांक 15.06.2017 (गुरुवार) को समय अपराह्न 15.00 बजे पेंशन अदालत प्रथम का आयोजन किया जाएगा।

सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एवं मृत्यु प्रकरण में उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य अपने सेटलमेंट राशि, पेंशन इत्यादि संबंधी शिकायत मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक विभाग) प. म. रेल, सडिपुका निशातपुरा, भोपाल 462010 को तीन प्रतियों मे जमा करा सकते हैं। पेंशनर अपने अभ्यावेदन में कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता, अंतिम वेतन दर, वेतनमान, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि इत्यादि सेवा विवरण का स्पष्ट उल्लेख करें तथा पी पी ओ/सेवा प्रमाण पत्र की कॉपी भी संलग्न करें।

सडिपु कारखाना से सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत्यु प्रकरण में आश्रित पारिवारिक सदस्य अपने आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं अथवा वाहक द्वारा कार्मिक विभाग के सेटलमेंट अनुभाग मे रखे बॉक्स मे भी डाल सकते हैं। आवेदन के ऊपर अथवा लिफाफे के ऊपर "पेंशन अदालत जून–2017" शीर्षक अवश्य दर्शायें।

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.05.2017 है।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
सडिपुका/भोपाल

पेंशन अदालत–2017–प्रथम हेतु आवेदन का प्रोफार्मा

सेवा मे,

मुख्य कारखाना प्रबंधक
प.म.रेल, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना
निशातपुरा, भोपाल, म.प्र. 462010

विषय :– पेंशन अदालत–2017–प्रथम

1	आवेदक का नाम / रेल कर्मचारी का नाम	
2	पदनाम	
3	अंतिम कार्यस्थल	
4	पेंशनर(पत्नी / पुत्र / पुत्री) का नाम एवं मृत कर्मचारी से रिश्ता	
5	अंतिम वेतन दर	
6	वेतनमान	
7	जन्मतिथि	
8	नियुक्ति तिथि	
9	सेवानिवृत्ति तिथि	
10	मृत्यु तिथि(फेमली पेंशन हेतु)	
11	पीपीओ क्र.	
12	पेंशनर का बैंक खाता क्र.एवं नाम एवं शाखा, IFSCकोड	
13	पेंशनर का पता	
14	शिकायत का विवरण	

भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

नाम